

205/426

प्राचीन सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगाधोपुर (सीकर)


क्रमांक/रीडर/2025/3630

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण **रुद्रमल** बनाम मुक्तिदासी तहसीलदार
घाबेवा पत्र अंतर्गत घाबे 136 एलओ आरओ एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या **164** /2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयानुसार तब है कि तहसीलदार श्रीगाधोपुर ने जरिये पत्रांक
15 / मु.अ. / 2025 दिनांक **29/09/2025** के द्वारा राजस्थान गू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अंतर्गत विजवाये गये राजस्व योग **कांठड़ी** पटवारी हल्का **कांठड़ी सिमरला**
तहसील श्रीगाधोपुर जिला सीकर के गृहि खाता संख्या **189** में खातेदार **रुद्रा पुत्र**
बोड़ू जाति जाट के स्थान पर **रुद्रमल चौधरी पुत्र बोड़ूगम** का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का **कांठड़ी सिमरला**
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को विजवाया जाना सुनिश्चित करावे।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3631-32

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीगाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का **कांठड़ी सिमरला** तहसील श्रीगाधोपुर को पालनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)

